[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक उन के प्रथम प्रश्न का सवाल है, मैं पहले उत्तर दे चुका हूं कि विशेष परिस्थितियों के कारण नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी को अलग रखा गया।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : कौन सी परिस्थितियों में ऐसा हुआ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस लिये हमने न तो उस को दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन में सम्मिलित किया और न दूसरी जगह। जहां तक बजट का सवाल है, दिल्ली प्रशासन का जो पूरा बजट है चाहे नगर निगम हो चाहे नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी हो, सब गृह मंत्रालय की बजट की मांगों में आता है। उन के लिये अलग से बजट प्रावधान नहीं रक्खा जाता।

श्री यशवंत सिंह कुशवाह (भिंड): क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न कब तक उलझा रहेगा? दूसरी बात यह कि केन्द्रीय प्रशासन के आर्थिक हितों को कौन सी बाधा पहुंच रही थी जिस की वजह से हस्तांतरित अधिकार को अहस्तांतरित किया गया? तीसरी बात यह कि गृह उप-सचिव ने जो पत्र लिखा उस को लिखने का अधिकार उन को था या नहीं। अगर अधिकार था तो उस अधिकार का पालन क्यों नहीं होने दिया गया और अगर अनाधिकार पत्र लिखा तो क्या उन के ऊपर जांच कर के अनुशासनात्मक कार-वाई की जायेगी? चौथे यह कि दिल्ली प्रशासन के कार्य में हस्तक्षेप करते रहने का गृह मंत्रालय के दिमाग में जो फितूर है उसे कब समाप्त किया जायेगा?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक इनके प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि नई दिल्ली की एक विशिष्ट स्थिति है और उसके कारण ही इसको इस तरह से रखा गया है। जहां तक वित्तीय मामलों का सम्बन्ध है, इसको आरक्षित विषय इस लिए बनाया गया है ताकि इससे जनहित का सम्पादन ठीक से हो सके।

जहां तक उप सचिव की चिट्ठी का सम्बन्ध है मैं फिर देखूंगा कि यह कब लिखी गई थी। मेरी प्रेजेंट इनफार्मेशन यह है कि यह नोटिफिकेशन जारी होने के पहले लिखी गई थी। इसकी मैं फिर से जांच कर लूंगा। अगर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चिट्ठी लिखी गई है तो सचमुच गलत बात यह होगी। जहां तक मुझे मालूम है नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले यह लिखी गई थी।

जहां तक फितूर की बात का सम्बन्ध है, राजनीतिक कारणों से कभी कोई हस्तक्षेप नहीं हमारी तरफ से हुआ है। हम यहां से राजनीतिक कारणों से कुछ नहीं करते हैं .....(**इन्टरप्शंज**)...जनहित के मामले जो होते हैं उन में राजनीति लाने की जो प्रवृत्ति है, उससे वातावरण दूषित होता है। व्यक्तिगत जो आरोप लगाये जाते है होम मिनिस्टर पर या एन० डी० एम० सी० के ऊपर वे सरासर बेबुनियाद हैं, गलत है और किसी तरह का भी उन में कोई तथ्य नहीं है।

12.43 HRS.

QUESTIONS ON STATEMENT LAID ON THE TABLE ON 12-8-1968 *RE.* INDO-SWISS TRAINING CENTRE AT CHANDIGARH

SHRI HIMATSINGKA (Godda) : May I know what the main objections of the Swiss foundation are to the continuance of the project under the CSIO? Is there any question of principle? Is there something of a personal nature between the director of the SCIO and the Swiss foundation and if so the nature thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : The foundation has not given any reasons or justification for keeping it as a separate unit. On the other hand the CSIR feels and the expert committee has also sug-

gested that the centre which was started in the Central Scientific Instruments Organisation—it was part of it—would serve no useful purpose as a separate entity. They have not given any reasons and we strongly feel that this should have been a part of the organisation from the inception.

SHRI S. K. TAPURIAH (Pali) : According to the statement laid on the Table of the House yesterday, the reason for the abrogation of the agreement is the attempt to separate the ISTC from the CSIO. But the reason that appears to be a fact is that difficulty arose because of continuous interference and power politics by the Director of the CSIO who was previously sacked by the late Dr. Bhabha for inefficiency and corruption. May I therefore know from the Government (a) whether in the 1961 agreement the CSIO was not mentioned at all; (b) whether in terms of the 1961 agreement, interference by the administrative head of the CSIO was a violation of the agreement or not and (c) is the Government prepared to lay on the Table a copy of the agreement ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : The agreement was signed between the Swiss Foundation and the CSIR. CSIO is a subordinate body of the CSIR and there was no need to mention that. There is no question of power politics at all. The simple point is that after 7½ years of this collaboration the Government of India and the experts feel that we are competent enough to handle this job. We no more need their collaboration. That is our view.

SHRI S. K. TAPURIAH : What about placing the agreement on the Table ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : It is known to everybody; it is in the Library.

SHRI S. K. TAPURIAH : What difficulty is there in placing it on the Table of the House ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : I shall lay it on the Table of the House. It is in the Library already.

श्री कामेश्वर सिंह (खगरिया) : श्री तापड़िया साहब ने कहा है कि भाभा साहब ने सी० एस० आई० ओ० के डायरेक्टर को पहले हटा दिया था। उन्होंने बराबर स्विस फाउंडेशन के काम में, ट्रेनिंग सैंटर में हस्तक्षेप किया। फाउंडेशन के प्रिंसिपल ने जोकि स्विस हैं बराबर डा० आत्मा राम को जो कि डायरेक्टर जनरल सी० एस० आई० आर० हैं खबर दी थी लेकिन कभी कोई कदम नहीं उठाया गया। एक स्टेज पर तो ऐसा हुआ कि इस ट्रेनिंग सैंटर को मैनेजमेंट बोर्ड ने सी० एस० आई० आर० को अपने हाथ में ले लेने के लिए कहा। परन्तु जो भी एग्रीमेंट हुआ उसको तोड़ दिया गया। स्विस फाउंडेशन के प्रेजीडेंट मार्च महीने में जब भारत आए थे तब उन्होंने डा० आत्मा राम से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि किसी भारतीय को ट्रेनिंग दी जाए और आगे चल कर उसको प्रिंसिपल बना दिया जाए।

मंत्री महोदय ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है :

"I appointed this Committee because the Director of the Central Scientific Instruments Organisation was feeling that after about 7½ years of operation of the Agreement, the Indian staff of the Indo-Swiss Training Centre was competent to continue the training without the assistance of Swiss instructors."

इस में सब से मजे की बात यह है कि अभी तक भी किसी भारतीय को प्रिंसिपल तो क्या वाइस प्रिंसिपल भी नहीं बनाया गया है।

आगे इन के स्टेटमेंट में यह है :

"The Expert Committee after detailed consideration of all aspects of the matter and personal inspection of the Indo-Swiss Training Centre and discussions with those concerned advised *inter alia* that it was not necessary to renew the existing Agreement beyond the 31st August, 1968."

मजे की बात यह है कि जब गुप्ता कमीशन एप्वाइंट हुआ उसने वहां जितने भी स्विस

[श्री कामेश्वर सिंह]

लोग थे, प्रिंसिपल था उससे कोई बातचीत नहीं की और बिना बातचीत के ही अपनी रिपोर्ट दे दी। मैं जानना चाहता हूं कि गुप्ता कमीशन ने बिना स्विस प्रिंसिपल से बातचीत किए हुए क्या अपनी रिपोर्ट दी और यदि दी तो उसका क्या कारण है?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या क्या विदेश मंत्रालय ने यह परामर्श दिया है कि इस एग्रीमेंट को अभी न टरमिनेट किया जाए?

अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से अनुरोध यह है कि आप मंत्री महोदय को कहें कि कमीशन की रिपोर्ट और विदेश मंत्रालय के परामर्श को तथा विद्यार्थियों ने जो एक मैमोरेंडम प्रधान मंत्री को दिया था, वह सब सदन पटल पर रखें।

श्री भगवत झा आजाद : मैंने जो स्टेटमेंट दिया है उस में मैंने कहा है कि जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी का एक भी मैम्बर सी० एस० आई० आर० या सी० एस० आई० ओ० से किसी भी प्रकार सम्बन्धित नहीं था। ये सारे विशेषज्ञ थे। यह कमेटी सी० एस० आई० आर० के वाइस प्रजीडेंट ने बहाल की थी। यह बात फाउंडेशन के प्रेजीडेंट और सैक्रेटरी जनरल को पूर्णतया मालूम थी। जब यह कमेटी चंडीगढ़ गई तो वहां इनको बार-बार बुलाया गया बात करने के लिए। इस कमेटी ने वहां पर जितने प्रशिक्षित थे या प्रशिक्षण लेने वाले थे उन सभी से बातचीत की, प्रिंसिपल को भी बात करने के लिए कहा गया। इसमें कोई व्यक्तिगत भावना नहीं थी। सच बात तो यह है कि साढ़े सात वर्षों में हमारे जो भारतीय हैं उन्होंने प्रतिष्ठान के विकास के लिए, उस में उत्पादन करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। हमें अब इस कोलैबोरेशन की आवश्यकता नहीं रह गई है। इन्हीं कारणों से हमने इस एग्रीमेंट को टरमिनेट किया है।

श्री कामेश्वर सिंह : विदेश मंत्रालय का क्या परामर्श था यह नहीं बताया है।

MR. SPEAKER : Now, papers to be laid on the Table.

श्री चंद्रिका प्रसाद (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, बलिया में हालत बड़ी खराब है। वहां तीन आदमी मर गए हैं और दो सौ घायल हुए हैं.....

MR. SPEAKER : Order, order. I have passed on to the next item.

12.46 HRS.

PAPERS LAID ON THE TABLE

INDIAN TELEGRAPH (SEVENTH AMENDMENT) RULES

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : I beg to lay on the Table a copy of the Indian Telegraph (Seventh Amendment) Rules, 1968 published in Notification Nos. G.S.R. 1290 (English version) and G.S.R. 1291 (Hindi version) in Gazette of India dated the 13th July, 1968, under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885. [*Placed in Library. See* No. LT-1711/68.]

NOTIFICATIONS AND U.P. KSHETTRA SAMITIS AND ZILA PARISHAD ADHINIYAM, U.P. CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, WEST BENGAL ZILA PARISHADS ACTS, WEST BENGAL PANCHAYAT ACT, ETC., ETC.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : I beg to lay on the Table :—

(1) (i) A copy of the Uttar Pradesh Zila Parishads (Conduct of Proceedings) Amendment Rules, 1968, published in Notification No. 7542-B/XXXIII-II-25-R-65 in Uttar Pradesh Gazette dated the 8th January, 1968, under sub-sec-